

10/11/22 'पहावली' आज पक्षीत वादी के ISICPC का पेश होने पर
तलब की गई। पक्षीत वादी को सुना व उपनि पक्ष निर्णय
दिनांक 20/9/22 का अवलोकन दिया तो निर्णय के अंतिम
पृष्ठ के नीचे ले चोषी धारण में एवं ऊपर से सातवीं धारण
में विरय पक्ष का दिनांक 22/10/2008 के स्थान पर 28/10/2008
निर्दिष्ट तुरंत ले गलत अंकन हो गए। दिते शुद्ध किया जाने
अधिक तलब है। अतः प्रा. पक्ष ISICPC का स्वीकार कर निर्णय
व डिफ्री में विरय पक्ष का दिनांक 28/10/2008 के स्थान पर
22/10/2008 शुद्ध किया जाना है व निर्णय व डिफ्री में इसी
अनुसार पढ़ा जावे। दितक अंकन निर्णय व डिफ्री में बाब
स्थापी ले सिमाया जावे। प्रा. पक्ष अतः पहावली के साथ संलग्न
रहे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

